कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

टी.पी. नगर जोन

फा.क्र. / 146 / निर्माण (टी.पी. नगर) / 2026 / **कोरबा, दिनांक 07/09/2026**

इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में स्थित स्वीमिंग पुल का संचालन की शर्ते

1. स्वीमिंग पुल संचालन कार्य के पात्रता होने के लिए छ.ग. राज्य के किसी नगर निगम व अन्य संस्था में स्वीमिंग पुल संचालन कार्य / रख–रखाव कार्य का न्यूनतम 02 वर्ष अनुबंध पत्र / अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न / प्रस्तुत करने के पश्चात ही निविदा मान्य किया जावेगा।

2. निविदा प्रपत्र in **Form – A/B/ABC** जिसमें प्रथम लिफाफा **A** में इस निविदा में मांगी गई समस्त तकनीकी दस्तावेज होंगी ,द्वितीय लिफाफा **B** में निविदाकार द्वारा किरायेदारी वित्तीय ऑफर बंद लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा एवं तृतीय लिफाफा **ABC** के भीतर प्रथम लिफाफा **A** एवं द्वितीय लिफाफा **B** भरा जावेगा तथा लिफाफा **ABC** में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित मुहरबंद लिफाफे में मान्य किया जावेगा।

3. स्वीमिंग पुल संचालन हेतु सभी स्वीमिंग कोचो (सिखाने वालों) के पास भारत सरकार द्वारा अधीकृत संस्था से स्वीमिंग में **NIS** प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त, प्रशिक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र / सर्टीफिकेट जमा किया जाना अनिवार्य है।

4. स्थानीय स्वीमिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड प्रोफेशनल तैराकी को नियमित प्रैक्टिस के लिए 50 मीटर वाले पुल में हर दिन सुबह और शाम 1–1 घंटे का विशेष समय दिया जाना अनिवार्य है।

5. किसी भी प्रकार की शासकीय प्रतियोगिता (कॉम्पटीशन) या इवेंट आयोजित करने के लिए स्वीमिंग पुल निःशुल्क देय होगा।

6. स्वीमिंग पुल संचालन कार्य हेतु अनुबंध अवधि 03 वर्ष की होगी।

7. स्वीमिंग पुल संचालन कार्य हेतु सुरक्षा राशि रूपये 2,00,000/– निगम कोष में जमा करना होगा, जिसे किरायेदारी अवधि समाप्ति पश्चात किसी प्रकार की राशि निगम के पक्ष में देय नहीं होने पर समायोजन पश्चात शेष राशि वापसी योग्य होगी।

8. स्वीमिंग पुल संचालन कार्य के उच्चतम निविदाकार द्वारा प्राप्त दर की प्रथम वर्ष किराया राशि अनुबंध पश्चात, स्वीमिंग पुल चालू करने से पूर्व प्रथम वर्ष की किराया राशि निगम कोष में जमा करना होगा तथा प्रथम वर्ष समाप्ति पश्चात द्वितीय वर्ष की किराया राशि में प्रत्येक वर्ष अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत बढ़ाया जावेगा व द्वितीय वर्ष समाप्ति पश्चात तृतीय वर्ष अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत बढ़ाया जावेगा अर्थात सत्र आरंभ के पूर्व संचालनकर्ता को वार्षिक किरायेदारी की राशि निगम कोष में अग्रिम जमा करना होगा एवं बिजली बिल पृथक से देना होगा।

9. स्वीमिंग पुल संचालन सदस्यता शुल्क निम्नानुसार रहेगा :–

1.	प्रति व्यक्ति 01 माह	1,000.00 रूपये
2	प्रति व्यक्ति 02 माह	1,500.00 रूपये
3.	प्रति व्यक्ति 03 माह	1,750.00 रूपये
4.	प्रति व्यक्ति 06 माह	3,000.00 रूपये
5.	प्रति व्यक्ति 12 माह	5,000.00 रूपये
6.	मेहमान (गेस्ट) शुल्क	200.00 रूपये प्रति व्यक्ति

नोट :– सदस्यता शुल्क में संशोधन (वृध्दि / कमी) नगर पालिक निगम कोरबा से सहमति प्राप्त कर किया जावेगा।

10. स्वीमिंग पुल संचालन प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे से 10:00 बजे तक एवं सायं 04:00 बजे से 07:00 बजे तक संचालित होगा, सप्ताह में एक दिन अवकाश दिवस होगा। तैराकी प्रशिक्षण हेतु 02 पुरूष, 02 महिला अनुभवी प्रशिक्षक रखना अनिवार्य होगा, जिसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निविदा में संलग्न करना होगा एवं प्रशिक्षक को

क्रमश :–02

अधीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही स्वीमिंग पुल परिसर, टायलेट, बाथरूम, फिल्टर मिडिया का रख–रखाव आदि के नियमित साफ–सफाई हेतु 02 पुरूष एवं 02 महिला कर्मचारी एवं इलेक्ट्रीशियन का रखना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल परिसर में विशेष आयोजन होने पर स्वीमिंग पुल/प्रशिक्षक उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित संचालक की होगी। प्रशिक्षण के समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी संचालक की होगी।

11. स्वीमिंग पुल के दैनिक उपयोग हेतु आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पुल, भवन के नित्य साफ–सफाई हेतु विशेष ध्यान रखना होगा। स्वीमिंग पुल को जनता के लिये खुलने के समय में तैराकी व जीवन रक्षा के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी जो कि महिला एवं पुरूष को तैराकी प्रशिक्षण भी दे सकें, को नियुक्ति करना होगा। कार्य के लिए प्रयुक्त किये गये समस्त तैराको/रख–रखाव कार्य हेतु कुशल/अकुशल/अर्धकुशल श्रमिकों इत्यादि का भुगतान छ.ग. शासन के द्वारा जारी किये गये दर अनुसूची के आधार पर करने की समस्त जवाबदारी संचालक की होगी।

12. सभी प्रकार के बिजली उपकरणों का रख–रखाव एवं बिजली बिल का भुगतान नियमित रूप से हर माह संचालक को करना होगा।

13. स्वीमिंग पुल के पानी का उचित गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा जिसका परीक्षण प्रति सप्ताह में शासकीय प्रयोग शाला से करवाकर जांच प्रपत्र नगर निगम कोरबा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, साथ ही जलशोधन हेतु स्थापित संयंत्रों का उपयोग से पानी की शुध्ता को बनाये रखना होगा एवं स्वीमिंग पुल सफाई में उपयोग होने वाले समस्त सामग्री प्रदाय की जिम्मेदारी संचालक की होगी।

14. स्वीमिंग पुल में कार्यरत् सभी कर्मचारियों का बीमा एवं छ.ग. शासन के द्वारा जारी अद्यतन सुरक्षा मानकों का पालन संचालक को आवश्यक रूप से करना होगा।

15. स्वीमिंग पुल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले तैराकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण व्यवस्था भी संचालक को करना होगा। जिसका परिक्षण समय–समय पर नगर पालिक निगम के प्रभारी अधिकारी से कराना होगा।

16. स्वीमिंग पुल के रख–रखाव जैसे पानी की गुणवत्ता के लिए आवश्यक रसायन की पूर्ति, पाईप लाईन मरम्मत, मशीनों का रख–रखाव व स्वीमिंग पुल परिसर के अन्य व्यवस्था जैसे विद्युत व्यवस्था, शौचालयों, स्नानगारों का रख–रखाव/पूर्ण परिसर का साफ–सफाई का ध्यान रखना होगा एवं उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री व कामगारों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी संचालक को उपलब्ध कराना होगा।

17. स्वीमिंग पुल परिसर के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जावेगा। आवश्यकतानुसार नगर निगम द्वारा मूल संरचना मे परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) हेतु पृथक के निविदा जारी कर संपादित किया जावेगा।

18. स्वीमिंग पुल के संचालन में सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का वाद–विवाद होने पर समाधान कराने की जिम्मेवारी संचालक की होगी।

19. श्रमिक की सुरक्षा, बीमा चिकित्सा सुविधाऍ, बोनस, प्रोविडेंट फण्ड आदि की जिम्मेदारी संचालक की होगी।

20. प्रदाय किये गये श्रमिक के कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं आकस्मिक मृत्यु होने पर समस्त जवाबदारी अनुबंध संचालक की होगी।

21. निगम के अधिकारी/कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों हेतु सदस्यता शुल्क व संधारण शुल्क 50 प्रतिशत रियायत का प्रावधान शर्तो में अनिवार्य रखा जावेगा।

22. बिना कारण बताएं निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा।

23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

क्रमश :–03

24. अन्य सूचनाएं नगर पालिक निगम साकेत भवन, कोरबा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

25. ठेके से संबंधित प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगें जो कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन रायपुर में पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिये हो, जिसकी निविदा में प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

26. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

टी.पी. नगर जोन

फा.क्र./146/निर्माण (टी.पी. नगर)/2026/ कोरबा, दिनांक 07/09/2026

इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्थित स्वीमिंग पुल का संचालन हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना

इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में स्थित स्वीमिंग पुल को वर्तमान स्थिति में स्वीमिंग पुल का नियमित रूप से रख–रखाव के साथ–साथ संचालन हेतु जन सामान्य/विभिन्न संस्थाओं/शासकीय व अर्द्धशासकीय विभागों तथा व्यक्ति से निगम की निर्धारित किरायेदारी आबंटन भार्तो के तहत **03 वर्ष** की किरायेदारी पर उपलब्ध कराने हेतु राशि **रू. 5,00,000/– (पांच लाख रूपये)** आफसेट मूल्य से अधिक उच्चतम वार्षिक किराया दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा हेतु इच्छुक संस्था/फर्म/व्यक्ति राशि रूपये **2,00,000/– (दो लाख रूपये)** का रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए **दिनांक** 22.09.2026 अपरांह **03:00 बजे** तक निविदा ऑफर प्रस्तुत कर सकते है, निविदा उसी दिनांक को उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष सायं **04:00 बजे** खोली जावेगी।

निविदाकर्ता निविदा के 01 दिवस पूर्व अर्थात **दिनांक** 21.09.2026 तक निविदा प्रपत्र राशि रू. **1,000/– (एक हजार रूपये)** शुल्क जमाकर कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त कर सकते है तथा **सुरक्षा राशि रूपये 2,00,000/– (दो लाख रूपये) टी.डी.आर./एफ.डी.आर.** के माध्यम से जमा कर निविदा में भाग ले सकते है। स्वीमिंग पुल के 03 वर्ष की लीज पर आबंटन हेतु निर्धारित शर्तो का विवरण निगम की वेबसाईड www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा के परिवहन नगर जोन के निर्माण शाखा से ली जा सकती है।

नोट :–

1. संलग्न शर्ते किरायेदारी निविदा का भाग माना जावेगा।
2. सुरक्षा राशि, एफ.डी.आर./टी.डी.आर. एवं डी.डी. के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठा.क्र./146/निर्माण (टी.पी. नगर)/2026/ कोरबा, दिनांक....../......../2026

प्रतिलिपि :–

1. **प्रोग्रामर, संचालनायलय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।**

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)